THE OTT INTEGRATION AND CONTENT DISTRIBUTION

INTRODUCTION

The regulatory landscape for Over-the-Top (OTT) services in India is facing increasing scrutiny as multiple stakeholders call for their inclusion under an authorization regime. Concerns have been raised over the impact of unregulated OTT services on traditional Distribution Platform Operators (DPOs), who are subject to stringent regulatory requirements. Industry representatives argue that the current lack of oversight on OTT tariffs, carriage, and content distribution creates an uneven competitive environment, favoring digital streaming platforms at the expense of conventional broadcasters.

REGULATORY CHALLENGES AND INDUSTRY CONCERNS

During the consultation process on the 'Regulatory Framework for Ground-based Broadcasters,' stakeholders highlighted a major regulatory challenge—the disparity in governance between OTT aggregators and traditional broadcasters. Many linear TV channels, which are bound by downlinking guidelines and Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) regulations, are being made available on OTT platforms with minimal modifications to their content mix. This practice, according to industry players, allows OTT services to bypass existing broadcasting regulations, raising concerns about regulatory circumvention.

With increasing broadband penetration, a variety of OTT services have emerged, leading to multiple definitions of OTT in regulatory discourse. The International Telecommunication Union (ITU) and the Department of Telecommunications (DoT) have classified OTT services into communication-based and application-based categories. Meanwhile, the Ministry of Information & Broadcasting's (MIB) draft Broadcasting Services (Regulation) Bill 2023 defines 'OTT broadcasting service' as content made available over the internet, distinguishing it from traditional cable and satellite services.

ओटीटी एकीकरण और सामग्री वितरण

परिचय

भारत में ओवर-द-टॉप-सेवाओं (ओटीटी) के लिए विनियामक परिदृश्य पर लगातार जांच की जा रही है, क्योंकि कई हितधारक उनको प्राधिकरण व्यवस्था के तहत शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पारंपरिक वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) पर अनियमित ओटीटी सेवाओं के प्रभाव पर चिंतायें जतायी गयी है, जो कड़े विनियामक आवश्यकताओं के अधिन हैं। उद्योग के प्रतिनिधियों का तर्क है कि ओटीटी शुल्क, कैरिज और सामग्री वितरण पर निगरानी की वर्तमान कमी एक असामान प्रतिस्पर्धी माहौल बनाती है, जो पारंपरिक प्रसारकों की कीमत पर डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देती है।

विनियामक चुनौतियां और उद्योग की चिंतायें

'ग्राउंड आधारित प्रसारकों के लिए विनियामक ढ़ांचे' पर परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों ने एक प्रमुख विनियामक चुनौती को उजागर किया-ओटीटी एग्रीगेटर्स और पारंपरिक प्रसारकों के बीच शासन में असमानता। कई लीनियर टेलीविजन चैनल, जो डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) नियमों से बंधें हैं, उनके कंटेंट मिक्स में न्यूनतम संशोधनों के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। उद्योग के खिलाड़ियों के अनुसार यह अभ्यास ओटीटी सेवाओं को मौजूदा प्रसारण नियमों को दरकिनार करने की अनुमति देता है, जिससे नियामक परिधि के बारे में चिंता बढ़ जाती है।

ब्रॉडबैंड की बढ़ती पहुंच के साथ, कई तरह की ओटीटी सेवायें सामने आयी हैं, जिससे नियामक चर्चा में ओटीटी की कई परिभाषायें सामने आयी है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) और दूरसंचार विभाग (डॉट) ने ओटीटी सेवाओं को संचार आधारित और एप्लिकेशन आधारित श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के मसौदा प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक **2023** में 'ओटीटी प्रसारण सेवा' को इंटरनेट पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है, जो इसे पारंपरिक केबल और सैटेलाइट सेवाओं से अलग करता है।

UNREGULATED GROWTH OF FAST CHANNELS

Stakeholders have also flagged the rapid proliferation of Free Ad-supported Streaming Television (FAST) channels in India, highlighting regulatory inconsistencies between FAST platforms and traditional broadcasters. Unlike DPOs, which are bound by strict licensing requirements, FAST channels operate without similar regulatory oversight, leading to potential competitive distortions. Industry representatives have urged policymakers to introduce a comprehensive regulatory framework for FAST services to maintain parity with traditional broadcasters.

Several platforms, including Yupp TV, Samsung TV Plus, Vodafone Play, Tata Play, Distro TV, Patchwall+ (Xiaomi), and LG WebOS, offer live channels to consumers. Stakeholders argue that these services, despite performing functions similar to ground-based broadcasters, remain outside the scope of existing uplinking/downlinking guidelines, exacerbating regulatory disparities. The TRAI has acknowledged these concerns and emphasized the need to examine the regulatory status of FAST channels to ensure a fair competitive landscape.

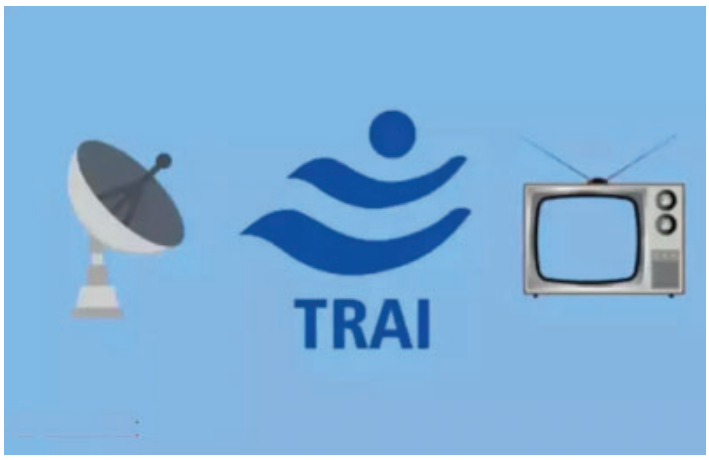

FUTURE REGULATORY DEVELOPMENTS

Some stakeholders have also recommended defining OTT broadcasting services, including Prasar Bharati's OTT platform, within the draft Broadcasting Services (Regulation) Bill 2023. Additionally, calls have been made to introduce definitions for 'current affairs' content, which remains ambiguous under existing regulations.

The growing regulatory debate underscores the urgency for a structured policy framework that addresses OTT broadcasting, FAST channels, and content distribution on digital platforms. As industry stakeholders await further regulatory developments, the future of India's broadcasting ecosystem will hinge on striking a balance between innovation and fair competition. ■

एफएएसटी चैनलों का अनियमित विकास

हितधारकों ने भारत में मुफ्त-विज्ञापन-समर्थित स्ट्रीमिंग टेलीविजन (एफएएसटी) चैनलों के तेजी से प्रसार पर भी चिंता जतायी है, जो फॉस्ट प्लेटफॉर्म और पारंपरिक प्रसारकों के बीच विनियामक विसंगतियों को उजागर करता है। डीपीओ के विपरित, जो सख्त लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से बंधे हैं, फास्ट चैनल समान विनियामक निरीक्षण के बिना संचालित होते हैं, जिससे संभावित प्रतिस्पर्धी विकृतियां होती हैं। उद्योग के प्रतिनिधियों ने पारंपरिक प्रसारकों के साथ समानता बनाये रखने के लिए फास्ट सेवाओं के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा पेश करने के लिए नीति निर्माताओं से आग्रह किया है।

युप टीवी, सैमसंग टीवी प्लस, वोडाफोन प्ले, टाटा प्ले, डिस्ट्रो टीवी, पैचवॉल प्लस (शाओमी) और एलजी वेबओएस सहित कई प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को लाइव चैनल प्रदान करते हैं। हितधारकों का तर्क है कि ये सेवायें, ग्राउंड आधारित प्रसारकों के समान कार्य करने के बावजूद मौजूदा अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशा निर्देश के दायरे से बाहर है, जिससे विनियामक असमानतायें बढ़ रही है। ट्राई ने इन चिंताओं को स्वीकार किया है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी परिदृश्य सुनिश्चित करने के लिए फास्ट चैनलों की नियामक स्थिति की जांच करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

भविष्य के विनियामक विकास

कुछ हितधारकों ने प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित ओटीटी प्रसारण सेवाओं को प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक **2023** के मसौदे के भीतर परिभाषित करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त 'करंट अफेयर्स' सामग्री के लिए परिभाषायें पेश करने का भी आग्रह किया है, जो मौजूदा विनियमों के तहत अस्पष्ट बनी हुई है।

बढ़ती विनियामक बहस एक संरचित नीति ढ़ांचे की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है जो ओटीटी प्रसारण, फास्ट चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री वितरण को संबोधित करती है। चूंकि उद्योग के हितधारक आगे के विनियामक विकास की प्रतिक्षा कर रहे हैं, इसलिए भारत के प्रसारण पारिस्थितिकी तंत्र का भविष्य नवाचार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाने पर निर्भर करेगा। ■